Extra copies of these reports to be circulated to peripheral staff might also be helpful and informative.

ADDITIONAL SHIPYARDS

951. SHRI SHYAMLAL GUPTA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government have decided to construct additional shipyards besides increasing the capacity of existing ones; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI M. B. RANA): (a) and (b). A new shipyard designed to produce ships upto the size of 85,000 DWT is already under construction at Cochin. An integrated development programme is also under implementation with a view to increasing the capacity of Hindustan Shipyard Ltd., to 6 ships per year aggregating about 80,000 DWT. Garden Reach Workshops Ltd., has undertaken the construction of a Building Dock for constructing vessels of the liner/bulk carrier class with a capacity ranging from 24,000 to 27,000 DWT.

The question of constructing additional shipyards and expanding the capacity of existing shipyards in the Fifth Plan is under consideration.

अंधों आदि पर किया गया खर्च

952. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अंधे, गूंगे और अपंग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई और उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ख) इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्तियों में से अब तक कितनों को रोजगार दिया गया है ?

†[EXPENDITURE ON BLINDS ETC.

952. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by Government for imparting training to the blind, dumb and physically handicapped people during the last three years, alongwith the number of persons who were imparted training in the same period; and

(b) the number of such trained persons who have so far been provided with employment ?]

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेटम्) : (क) निम्नलिखित सारणी मे 1969-70, 1970-71 और 1971-72 की अवधि के दौरान किया गया खर्च और प्रशिक्षित किये गये विकलांग व्यक्तियों की संख्या दी गई है :—

वर्ष	खर्च की गई धन राशि	प्रशिक्षित किये गये व्यक्ति
	लाख रु०	
1969-70	14.44	1,804
1970-71	19.02	2,158
1971-72	20.41	3,091

(ख) उन शिक्षार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है जिन्हों ने वास्तविक रूप से रोजगार प्राप्त कर लिया है । फिर भी विकलांग व्यक्तियों के 9 विशेष रोजगार कार्यालयों ने 1969-70 से 1971-72 तक 3,410 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया ।

†[ ] English translation.

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The following table shows the expenditure incurred and the number of physically handicapped persons trained during the period 1969-70, 1970-71 and 1971-72:—

STATEMENT

Year	Amount spent	Persons Trained
	Rs in lakhs	
1969-70 . . .	14·44	1,804
1970-71 . . .	19 02	2,158
1971-72 . .	20·41	3,091

(b) Information is not available about the number of trainees who actually secured employment. However, during 1969-70 to 1971-72, the nine Special Employment Exchanges for the Physically Handicapped placed in employment 3.410 physically handicapped persons.]

विदेशी छात्रों को सुविधाएं

953. **श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों मे विदेशी छात्रो के लिये शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था है,

(ख) यदि हां, तो किस-किस विश्वविद्यालय मे कितने-कितने विदेशी छात्र किन-किन विषयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे है; और

(ग) उनको दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

†[FACILITIES TO FOREIGN STUDENTS

953. SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether there are arrangements for the foreign students to receive education in the Indian Universities;

(b) if so, the number of the foreign students having education in each of the Universities along with the subjects taken by them; and

(c) the details of facilities provided to them ?]

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हा।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना सलग्न विवरण मे दी गई है।

विवरण

भारतीय विश्वविद्यालयों मे विदेशी छात्रों को दी गई सुविधाओं के ब्यौरे

आमतौर पर विश्वविद्यालयो मे भारतीय राष्ट्रिको को प्राप्त सुविधाए विदेशी छात्रो को भी उपलब्ध है। इसके अलावा, लगभग 680 विदेशी छात्र वह डिग्री डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिसके लिए उनका चयन किया जाता है, भारत सरकार की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना से लाभ उठाते है तथा अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए, आवश्यक पुस्तको, उपकरणो तथा उपस्करो की लागत के अलावा ऐसा प्रत्येक छात्र अनुरक्षण, अनुदान तथा विशेष कपडा जो उसे अनुमत्य हो, पाने का हकदार है। कुछ शर्तो के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शीघ्र निबन्ध के टाइप कराने का व्यय भी दिया जाता है। कुछ विश्वविद्यालय विदेशी छात्रो के लिए विशेष छात्रावास की सुविधाओ की व्यवस्था करते है। विश्वविद्यालयो से प्राप्त सूचना के अनुसार सामान्य सांस्कृतिक छात्र सहित विदेशी छात्रों की संख्या अनुबंध मे दी गई है।

†[ ] English translation.